# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 1036/2018 सरजू देवी बनाम मांगू<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 01/12/2025 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकारों की इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट नीदड में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2018 पारित करते हुये वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी।<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त विवादग्रस्त आराजी स्वयं अर्जित भूमि होना धारित कर वादीगण के वाद को ख़ारिज करने में कोई विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर नही होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05/06/2018 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |